न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 85/2011

1.भरोसी पुत्र मुरली (मृतक)
- 1/1 राधेश्याम
- 1/2 मुकेश
- 1/3 बनवारी
- 1/4 नवल
- 1/5 विष्णु

पुत्रान स्व0 भरोसी राभी जाति धोबी निवासी करौली जिला करौली।

अपी0

बनाम

1. सरकार जरिऐ तहसीलदार, तहसील करौली जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली मु0न0 53/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2011)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपी0 की ओर से श्री अशफाक अहमद
2. रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 53/2009 निर्णय दिनांक 30.08.2011 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र बाबत दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती, इस आशय का पेश किया कि आराजी खं0नं0 8597, 8599, 8600, 8601, 8618, 8619, 8620, 8621 कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके कस्बा करौली तहसील, करौली में वादी की व उसके पिता मुरली की खास बहन सुक्को बेवा घीस्या धोबी निवासी करौली तहसील, करौली की जेर खाता व कब्जे की रही है। मेरी बुआ सुक्को के पति व उसके लडके की मृत्यु हो जाने तथा उसका लडका भगवती लाओलाद फौत [illegible] ऐसी सूरत में सुक्को के जीवन यापन के लिये तथा उसकी बीमारी में ईलाज [illegible] लिये सहारे की आवश्यकता थी, ऐसी अवस्था में मुझ वादी ने बुआ [illegible] जीवन [illegible] में सेवा की वह मुझ [illegible] के साथ ही रहती थी एवं जब वह वादी के साथ [illegible] की मौत हो गयी तथा [illegible] उसकी बीमारी में उसका ईलाज कराया, उसको रोटी दी तथा उसकी हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की तथा उसके जीवन में उसके साथ रहकर दर्ज दावा मजकूरा वाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजीयात को वादी काश्त करता रहा। दिनांक 05.03.2002 को सुक्को फोत हो गयी, उसकी फोती पर मेंने ही उसका दाह संस्कार किया व उसको गंगाजी लेकर गया तथा समाज के रीति रिवाज के मुताविक पगडी भी मुझ वादी के ही बंधी। मुसम्मात सुक्को ने अपने जीवन काल में दिनांक 25.05.1998 को एक वसीहतनामा 100 रूपये के दो किता नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मुझ वादी के हक में रूबरू गवाहान लिखा तथा नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय का मेरा फोटो लगवाकर बसीहतनामा में नोटेरी पब्लिक के यहॉ अटेस्टेड कराया। सुक्को के मरने के बाद उसकी सामाजिक व धार्मिक रस्म मुझ वादी द्वारा अन्जाम दी गई तथा उसके जीवन काल से ही आराजीयात दर्ज दावा पर में वादी लगातार काबिज व दखील हूँ। दीगर किसी का इन आराजीयात के साथ कोई सम्बंध व ताल्लुक नहीं है। वादी मामूली पढा लिखा सीधा साधा इन्सान है। सुक्को की फोती के बाद से लगातार पटवारी व तहसील के चक्कर काट रहा हूँ। दिनांक 25.06.2009 को वादी तहसील करौली अन्तिम बार गया तथा राजस्व अधिकारीयों व पटवारी इत्यादि से मिला तो उन्होंने कहॉ कि अदालत में दावा कर उसके वगैर हम तेरे नाम नामान्तरण नहीं भरेंगे, ऐसी सूरत में वादी को दावा हाजा पेश करना लाजिम हुआ। वरूये वसीयत वादी ही सुक्को द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति का मालिक काबिज हूँ तथा विवादित आराजीयात का अपने नाम घोषणा कराते हुये सुक्को के स्थान पर वादी स्वंय के नाम के इन्द्राजात बतौर खातेदार जमावंदी में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादी के विरूद्व विनाय मुखासमत दिनांक 25.06.2009 को अन्तिम बार कहने व उसके कर्मचारीयों के कहने पर कि अदालत में दावा करों इसके बगेर कोई सुनवायी नहीं होगी तब वादी ने दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया एवं दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश कि गयी।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अदालत मातहत रूएदार मिसिल एवं खिलाफ कानून होने के कारण लायके मंसूखी है। बसीयत को अदालत मातहत ने मजिस्ट्रेट द्वारा तस्दीक शुदा ना मानकर दावा को खारिज करने में कानूनी भूल की है। जबकि बसीयत 100/- रूपये के पर्याप्त स्टाम्प पर है तथा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक है तथा जिस पर मुसम्मात सुक्को का फोटो भी लगा है तथा सुक्को की अंगूठा निशानी भी है बसीयतनामा का कानूनन रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है बसीयत नोटेरी से तस्दीक शुदा ही वैलिड व पढे जाने योग्य होती है। अपीलाट के शपथपत्र को ना मानने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। मृतका सुक्को की बसीयत के मुताविक उसकी विवादित आराजीयात व छोडी हुई समस्त चल अचल सम्पत्ति का अपीलांट ही मालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काबिज बनता है इसलिए वरूए वसीयत अपीलांट के हक में खातेदारी इन्द्राजात कराया जाना आवश्यक है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार होने योग्य है।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित आराजी कस्बा करौली 'सी' की जमाबंदी सम्बत् 2064–67 में वर्णित खसरा नम्बर सूक्को बेवा घीस्या जाति धौबी के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट द्वारा पेश की गयी वसीयत की फोटो प्रति के अनुसार वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिग्री पारित की है। वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2064 वाके कस्बा करौली 'सी' के खतौनी सं0 798 अनुसार विवादित आराजी सुक्का बेवा घीस्या जाति धौबी सा0 देह खातेदार के नाम अंकित है। पत्रावली पर अपीलांट/वादी द्वारा पेश की गयी दिनांक 25.05.1998 की वसीयत की फोटो प्रति उपलब्ध है जिसमें सुक्को बेवा घीस्या ने चल व अचल सम्पत्ति का मालिक भरोसी को लिखित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2011 में विवेचित किया है कि "पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श 2 नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है। किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त वसीयतनामे को सत्यापित नहीं किया है। जमाबंदी प्रदर्श 1 में सुक्को बेवा घीस्या धोबी का नाम दर्ज है। वादी का रिकार्ड में कही भी नाम का इन्द्राजात नहीं है। अतः वादी अपने वाद को साबित करने में असफल है।" जबकि पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 18– दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है, में वसीयत का पंजीयन वैकल्पिक माना गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही में विधिक त्रुटि दृष्टव्य होती है। इसिलिए अपील प्रतिप्रेषित करने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 53/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में विवेचन, विश्लेषण कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली के यहां दिनांक 10.03.2021 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

27.1.21
(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner